कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम,
मेरठ।

पत्रांक 4742/एमआर/क्षे0प्र0/बागपत बस स्टेशन/19 दिनॉक 12.10.2019

सेवा में

ब्यूरो चीफ
दैनिक जागरण
मेरठ।

विषयः—**बस स्टेशन बागपत में भूमि कय सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्तव विषयक अनुरोध है कि कृपया संलग्न विज्ञप्ति अपने दिनांक 14.10.2019 के संस्करण में जो मेरठ मण्डल के समस्त जिलों में प्रकाशित हो, में न्यूनतम शासकीय दर पर अधिकतम 9×9 सेन्टीमीटर कॉलम में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं न्यूनतम दरों पर बीजक सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें ताकि भुगतान अवमुक्त किया जा सके।

संलग्नः—विज्ञप्ति

भवदीय

क्षेत्रीय प्रबन्धक
मेरठ।

प्रतिलिपिः—

1. जिलाधिकारी, बागपत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान प्रबन्धक (पी एण्ड आईडी) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संलग्नक—एक
3. सहायक प्रबन्धक (एम आई एस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विज्ञप्ति को निगम की वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। संलग्नक—एक
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बड़ौत।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
मेरठ।

Downloaded from www.upsrtc.com

प्रेस विज्ञप्ति

बागपत बस स्टेशन हेतु भूमि क्रय प्रस्ताव का आमंत्रण

बागपत में निगम बस स्टेशन स्थापना हेतु निजी भू–स्वामियों/कम्पनियों/पंजीकृत साझेदारी फर्मों से दिनांक 30.10.2019 तक निम्नांकित मापदण्डों के अधीन भू–खण्ड क्रय प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैंः–

1. क्षेत्रफल न्यूनतम 6,000 वर्ग मीटर एवं फ्रन्टेज न्यूनतम 60 मीटर होना चाहिए।
2. भू–खण्ड की स्थितिः–
   (क) भू–खण्ड दिल्ली–सहारनपुर मुख्य मार्ग पर राष्ट्रवन्दना चौक बागपत से दिल्ली की ओर अथवा राष्ट्रवन्दना चौक बागपत से बड़ौत की ओर स्थित होना चाहिए। भू–खण्ड का फ्रन्टेज दिल्ली–सहारनपुर मार्ग पर होना चाहिए। राष्ट्रवन्दना चौक से निकटतम दूरी पर स्थापित भू–खण्ड को वरीयता दी जायेगी।
   (ख) गैर आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक अथवा औद्योगिक श्रेणी के भू–खण्ड को क्रमानुसार वरीयता दी जायेगी। भू–खण्ड से सटा कोई शैक्षिक संस्थान अथवा अस्पताल ना हो।
3. भू–खण्ड के ऊपर कोई हाई पावर विद्युत लाईन ना हो।
4. भू–खण्ड में कोई धार्मिक स्थल, नहर, नाला, कब्रिस्तान, शमशान, सार्वजनिक रास्ता इत्यादि न हो तथा भूमि अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए।
5. भू–खण्ड यदि सड़क तल के बराबर है तो उसे वरीयता दी जायेगी।
6. विक्रेता द्वारा अपेक्षित दरों का स्पष्ट अंकन प्रति वर्ग मीटर/प्रति हैक्टेयर के आधार पर अवश्य अंकित करना होगा। रजिस्ट्री चार्जेज के अतिरिक्त यदि कोई देयता अथवा टैक्स की देनदारी बनती है तो वह विक्रेता द्वारा ही वहन की जायेगी। भू–खण्ड के क्रय की स्थिति में रजिस्ट्री चार्जेज क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
7. विक्रेता को अपना प्रस्ताव क्षेत्रीय प्रबन्धक मेरठ के कार्यालय में दिनांक 30.10.2019 तक अपरान्ह 14–00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा। अपने प्रस्ताव के साथ विक्रेता को आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि की खसरा व खतौनी की प्रमाणित प्रति एवं भार मुक्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न करना होगा। यदि भू–खण्ड एक से अधिक व्यक्तियों के नाम है तो सभी का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
8. इस आशय का शपथ पत्र विक्रेता को अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि भूमि किसी भी भार, ऋण एवं विवाद से मुक्त है एवं उक्त जमीन हेतु किसी न्यायालय में कोई मुकदमा लम्बित नही है।
9. उक्त सूचना परिवहन निगम की वेबसाईट www.upsrtc.com पर भी उपलब्ध है।
10. भू–खण्ड चयन का अन्तिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 परिवहन निगम
मेरठ।

Downloaded from www.upsrtc.com